न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 174/2021 प्रार्थनापत्र

बन्ना लाल पुत्र श्री हजारी लाल गुर्जर आयु वयस्क निवासी– बाला का खेड़ा (आमदला) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) ---- प्रार्थी

बनाम

1. वन विभाग, जरिये उपवन संरक्षक, भीलवाड़ा (राज0)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

---- विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 129, 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 48 राज0 काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश कुमार जैन --अधिवक्ता प्रार्थी

2. अशोक श्रोत्रिय --अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01

3. पेरोकार सरकार –अधिवक्ता–विपक्षी संख्या 02

:: निर्णय :: दिनांक– 09/05/2022

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने धारा 129, 131, 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का प्रार्थनापत्र इस आशय का पेश किया कि सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 8222/8146 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा स्थित है। जो कि प्रार्थी ने खातेदार आशाराम पुत्र श्री किशन लाल दर्जी निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) से कय कर अपने आधिपत्य मे प्राप्त की , केता का जिस जगह कब्जा था, वही पर प्रार्थी काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रार्थी ने दिनांक 14/10/2019 को राजस्व नक्शा ट्रेस व जमाबदी की नकले प्राप्त की तो पता चला कि प्रार्थी का जिस जगह पर कब्जा है वो भूमि विपक्षी संख्या 01 के नाम पर दर्ज होकर आराजी नम्बर 2654 मे आराजी नम्बर 2655 मन्दिर है, जिसके सटमा है व प्रार्थी की भूमि जहां तरमीम है, वहां पर विपक्षी संख्या 01 की भूमि है। प्रार्थी की कब्जेशुदा भूमि को राजस्व नक्शे की फोटो प्रति मे लाल स्याही से दर्शाया गया है, जो उक्त प्रार्थनापत्र का अभिन्न अंग है। इस कारण से प्रार्थी की भूमि को कब्जे अनुसार तरमीम करवाया जाने की प्रार्थी प्रार्थना करता है। प्रार्थी अपनी आराजी नम्बर 8222/8146 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा कब्जे अनुसार तरमीम कराना चाहता है, परन्तु प्रार्थी का कब्जा आराजी नम्बर 2654 मे होने से विपक्षी संख्या 01 की भूमि का विनिमय कर कब्जे अनुसार तरमीम करवाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है ताकि प्रार्थी अपनी भूमि की मेडबदी व चकबंदी कर सके। जिससे विपक्षी संख्या 01 को भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नही होगा व विपक्षी संख्या 01 की आराजीयात भी एक चक हो जायेगी। उक्त भूमि की एक ही किस्म है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:39:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया व विपक्षी संख्या 01 द्वारा जवाब पेश किया गया, जिनके द्वारा भूमि वन विभाग की होने से प्रार्थनापत्र खारीज करने का निवेदन किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कब्जे अनुसार तरमीम करने हेतु निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री एवं दस्तावेजात रेकार्ड का अवलोकन किया। विपक्षी संख्या 01 वन विभाग के नाम पर दर्ज भूमि आराजी नम्बर 2654, 2655 मे वर्षो पुराना मन्दिर बना हुआ है व उक्त भूमि जो कि मंदिर निर्माण के समय से ही पूर्व मे बिलानाम भूमि दर्ज रही है व साथ ही प्राचीन मन्दिर बना हुआ है व मौके पर कब्जा भी सेटलमेन्ट से पूर्व आमजन की जानकारी मे प्रार्थी का चला आ रहा है, जो मंदिर में पूजा चाकरी करता हैं एवं उक्त कब्जेशुदा भूमि में मंदिर एवं दर्शनार्थियों के लिये पेड–पौधे उद्यान आदि लगाये हैं, दोनो भूमि सटमा होकर एकीकृत है, एक ही किस्म व समान क्षेत्रफल, समान कीमतन की हैं व वन विभाग की भूमि मे मन्दिर निर्माण स्वयं वन विभाग द्वारा स्वीकार किया गया है। प्रार्थी के कब्जे को हटाने बाबत वन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही किसी भी न्यायालय मे नही की गयी है व न ही वर्तमान मे किसी प्रकार का वाद विवाद किसी भी अन्य न्यायालय मे विचाराधीन है। प्रार्थी 08 बीघा 02 बिस्वा पर कब्जा वर्षो से है जिस पर प्रार्थी मंदिर की सेवार्थ पौधारोपण करता है, मंदिर की सेवा पूजा आदि करता है शेष 08 बिस्वा भूमि पर प्राचीन मुख्य मंदिर बना हुआ है। प्रार्थी समस्त भूमि को सामाजिक हित मे मंदिर के नाम करना चाहता है।अतः मंदिर की कुल भूमि 08 बीघा 10 बिस्वा भूमि कब्जे अनुसार तरमीम होने से पक्षकारो के हितो पर विपरीत प्रभाव नही पडेगा व न ही राजस्व हानि होगी तथा न ही वन विभाग का रकबा प्रभावित होगा। साथ ही वन विभाग को बिना निर्माण युक्त र्निविवाद खाली भूमि जो वन विभाग की भूमि से लगती हुई है, मिलने पर वन विकास किया जा सकेगा। अतः कब्जे अनुसार तरमीम करवाया जाना व भूमि विनिमय की जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे प्रार्थी की आराजी नम्बर 8222/8146 रकबा 08बीघा10 बिस्वा को विपक्षी संख्या 01 वन विभाग की आराजी नम्बर 2655 रकबा 0.0885 हैक्टर में मन्दिर व आराजी नम्बर 2654 रकबा 18.6408 हैक्टर में से 08 बीघा 02 बिस्वा मंदिर से सटमा भूमि किता 02 रकबा 08बिघा 10बिस्वा का आपस मे विनिमय करने और तरमीम शुद्वि के लिए वन सरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के तहत विपक्षी सं.01 को भारत सरकार की पुर्वानुमति प्राप्त करने की कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। इस सबंध मे विपक्षी संख्या 02 को राज्य सरकार से पुर्वानुमति प्राप्त करने हेतु आदेश दिये जाते है तदनुसार पुर्वानुमति प्राप्त कर राजस्व नक्शे मे तरमीम करायी जाने व राजस्व जमाबंदी मे इन्द्राज किए जाने का आदेश दिया जाता है। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार करेड़ा उप पंजीयक भीलवाडा को तहरीर मय आदेश व नक्शा जारी कर पालना सुनिश्चित करावें जावें।
यह आदेश आज दिनांक 09.05.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:39:00 IST
Reason: SelfAttested

(महीपाल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)